

समाहरणालय, पटना।  
(शस्त्र शाखा)

फोन नं ०६१२-२२१९५४५ (काठ)  
फैक्स नं०-०६१२-२२१८९००  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

21-11-2013

आवेदक श्री योगेश कुमार, पिता—श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सा०—रामनगर रोड नं०—०४, चिड़ैयाटाड़, पो०—जी०पी०ओ०, थाना—जवकनपुर, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञाप्ति वाद संख्या—०९—४७२/२०१३ कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि—२१.११.२०१३ निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—२१.११.२०१३ को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—१४९१/गो०, दिनांक—१८.१०.२०१३ द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, जवकनपुर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, जवकनपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे व्यवसाय करते हैं। उनके पिता के नाम पूर्व से एक एन०पी०बोर रिवाल्वर की अनुज्ञाप्ति प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदक के जान—माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा १३, शस्त्र नियम १९६२ में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री योगेश कुमार,

21/11/13  
234

पिता—श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, सा०—रामनगर रोड नं०— 04, चिड़ैयाटाढ़, पो०—जी०पी०ओ०,  
थाना—जककनपुर, जिला—पटना को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण  
बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञाप्ति  
हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित  
अनुज्ञाप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट  
साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञाप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय  
में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञाप्ति पुस्त प्राप्त कर  
लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।